संख्या– – /XXVII(7)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल,
23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।

2–निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट
इन्टरनल ऑडिट, उत्तरांचल,
23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।

वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7

देहरादून : दिनांक 24 जुलाई, 2006

विषय :– दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू नई पेंशन योजना की अंशदायी कटौतियों को सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा करना तथा आवश्यक सूचना का प्रेषण।

महोदय,

शासनादेश संख्या–21/XXVII(7)/अं0पे0यो0/2005, दिनांक 25 अक्टूबर,
2005 द्वारा 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों हेतु अंशदान पर
आधारित नई पेंशन योजना लागू की गयी है। इस योजना के अधीन कर्मचारी के अंश तथा
नियोक्ता के अंश को मुख्य लेखा शीर्षक 8011–बीमा तथा पेंशन निधियॉं, 106–अन्य बीमा
तथा पेंशन निधियॉं, 05–राज्य कर्मचारी का अंशदायी पेंशन जमा तथा 33–पेंशन हेतु
अंशदान में जमा करने के निर्देश दिये गये थे। महालेखाकार उत्तरांचल ने अपने पत्र
दिनांक 23.06.2006 द्वारा अवगत कराया है कि भारत सरकार में नई पेंशन योजना के
अंशदान को 8011–बीमा तथा पेंशन निधियॉं के स्थान पर इस प्रकार की कटौतियों को
8342–अन्य जमा में वर्गीकृत करने का निर्देश दिया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व की नई पेंशन
योजना के अंशदान यदि 8011–बीमा तथा पेंशन निधियॉं सुसंगत लेखा शीर्षक के अधीन
जमा किये गये हों तब उक्त जमा अंशदान को संशोधित लेखा शीर्षक में जमा करने की
कार्यवाही करने के साथ भविष्य में इस प्रकार की कटौतियों को 8342–अन्य जमा,
117–सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन स्कीम, 03–राज्य कर्मचारी का अंशदायी
पेंशन जमा, 33–पेंशन हेतु अंशदान के अधीन जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई नई नियुक्तियों से सम्बन्धित कर्मचारियों का
नामांकन तथा कटौतियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र तथा निर्धारित तिथि पर विभागीय
अधिकारी एवं कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून को
भेजा जाय। यदि सम्बन्धित विभागीय अधिकारी एवं कोषागार अधिकारी द्वारा यह सूचना
नहीं भेजी जाती तब ऐसे प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उक्त योजना के अधीन
टीयर–II की कटौतियों को किस लेखा शीर्षक में जमा किया जाय, पर स्थिति स्पष्ट नहीं
है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक पेंशन निधि प्रबन्धक की नियुक्ति

नहीं की जाती तथा इस पर अलग से कार्य योजना नहीं बनायी जाती तब तक टीयर–II से सम्बन्धित कटौतियों के लिए वही प्रक्रिया अपनायी जाय जो भविष्य निधि खाते के रखरखाव हेतु उत्तरांचल भविष्य निधि नियमावली–2006 में दी गयी है। समस्त कोषागार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रपत्र–3 पर टीयर–I एवं टीयर–II से सम्बन्धित समस्त विवरण यदि पूर्व में नहीं भेजा गया है तो विलम्बतम् 31 अगस्त, 2006 तक निदेशक, लेखा एवं हकदारी को अवश्य उपलब्ध करा दें। यदि कोषागार में कार्यशील सॉफ्टवेयर में किसी 'अपडेशन' की आवश्यकता हो तब 05 अगस्त, 2006 तक एन0आई0सी0 से सम्पर्क कर समस्या का समाधान करा लें।

उपरोक्त आदेशों का समयबद्ध कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव।

संख्या–132 (1)/XXVII(7)/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
4– सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल।
5– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
7– समस्त जिलाधिकारी/कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
8– स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली/पे एण्ड एकाउन्ट ऑफिस, उत्तरांचल निवास, नई दिल्ली।
9– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
10– समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
11– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य इकाई उत्तरांचल, देहरादून।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त।

240706002